

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

केम्प - अटल सेवा केन्द्र, सांगरिया

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 419/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. शिमला पत्नि नारायण गुर्जर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां
2. जीवणी पत्नि रामस्वरूप गुर्जर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखदेव पिता हरचन्द कीर निवासी सांगरिया तह0 फूलियाकलां
2. प्रभु पिता हरचन्द कीर निवासी सांगरिया तह0 फूलियाकलां
3. सम्पत पिता मिश्रीलाल खाती निवासी सांगरिया तह0 फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 22.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 879 के आराजी नम्बर 1739 रकबा 0.44 है0, आराजी नम्बर 1736 रकबा 0.99 है0, आराजी नम्बर 1739/4054 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 1740 रकबा 0.55 है0, आराजी नम्बर 5060/1743 रकबा 0.47 आराजी कुल कित्ता 05 रकबा 2.51 है0 का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही



की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम सांगरिया संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांगरिया मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 05 रकबा 2.51 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2016 को केम्प अटल सेवा केन्द्र सांगरिया पर सुनाया गया।



( एम०पी० नायक )  
आ००००००००  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालन रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा  
फूलियाकलां

जा  
2016